3. विधि विभाग से अनुरोध है कि उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-5 में जो सरकार का निर्णय हुआ है, उसके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर, कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त करें।

4. कार्मिक विभाग (प्रशाखा-3) उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-6 में व्यक्त सरकारी निर्णय के कार्यान्वियन हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करें।

ह०/ आर० सी० घोषाल
8-6-76
रामचन्द्र घोषाल
सरकार के उप सचिव।

उमा०-8670
ज्ञाप संख्या-10/परी०-1022/75का०-906/पटना-15, दिनांक 8 जून, 1976।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, को सूचनार्थ एवं राजपत्र के एक विशेषांक में उक्त संकल्प को तुरत प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

2. संबंधित राजपत्र के विशेषांक की एक हजार प्रतियाँ कार्मिक विभाग (परीक्षा शाखा) को निश्चित रूप से भेजी जाय।

ह०/ आर० सी० घोषाल
8-6-76
(रामचन्द्र घोषाल)
सरकार के उप सचिव।

XIX— अतिरेक, छटनीग्रस्त सरकारी सेवकों (तेनुघाट सहित) का नियोजन।

संख्या 8250—वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष

दिनांक 9 दिसम्बर, 1967।

विषय :—अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों के नियोजन संबंधी कार्य।

महाशय,

मंत्रिमंडल सचिवालय के ज्ञाप संख्या सी० एस०—3363, दिनांक 5 जुलाई 1967 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में निदेशानुसार मुझे कहना है कि तिथि 7 जुलाई 1967 से सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में और तिथि 10 जुलाई 1967 से सरकार के अन्य सभी कार्यालयों तथा स्थापनाओं में केवल अतिरिक्त/छांटे गये सरकारी सेवकों की ही नियुक्ति करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। अब तक छांटे गये/अतिरेक सरकारी सेवकों की सूची और उनके नियोजन संबंधी कार्य वित्त विभाग के मितव्यय प्रकोष्ठ में किया जा रहा था। कुछ दिनों से छांटे गये कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है और इनके नियोजन की समुचित व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि यह कार्य एक ऐसी संस्था को सौंपा जाय जिसको नियोजन कार्य का अनुभव तथा इसके तकनीकी पक्ष का भी ज्ञान हो। इसी संदर्भ में सरकार का निर्णय है कि इस कार्य को राज्य नियोजन निदेशालय वित्त विभाग के मितव्यय प्रकोष्ठ के सहयोग से करेंगे। इसी उद्देश्य से राज्य नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय (नियोजन शाखा) में एक केन्द्रीय नियोजन कोषांग बनाया जायेगा।

2. सरकार के संकल्प संख्या □/एम1—6085/65—10195—एफ, तिथि 12 नवम्बर 1965 (प्रतिलिपि संलग्न) में यह निर्देश दिया गया था कि अराजपत्रित स्थापनाओं में पदों के सृजन के मापदण्ड को प्रतिशत 25 बढ़ा दिया जायगा। इसी अनुसार प्रत्येक विभाग अपने नियंत्रणाधीन अराजपत्रित स्थापनाओं की छानबीन करेंगे और अतिरिक्त सरकारी सेवकों एवं पदों की सूची बनाएंगे। इस प्रकार के अतिरिक्त पद-वर्गों की सूची वित्त विभाग के मितव्यय प्रकोष्ठ में रहेगी तथा जबतक अतिरेक सरकारी सेवक कोई दूसरे पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है वे अपने सम्बद्ध विभाग/कार्यालय में बने रहेंगे !

3. छांटे गये सरकारी सेवक उन्हें ही माना जायेगा जो किसी सरकारी पद पर कम-से-कम ६ माह तक लगातार नियुक्त रहे हों और जो मितव्ययिता/कार्य सम्पादन/स्वीकृति की समाप्ति के कारण तिथि 1ली मार्च 1967 को या उसके बाद सरकारी सेवा से मुक्त किये गये हों।

4. अतिरेक/छांटे गए सरकारी सेवकों; जिनके नाम वित्त विभाग के मितव्यय प्रकोष्ठ में हैं, उनकी सूची केन्द्रीय नियोजन कोषांग में भेजी जा रही हैं। सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय के प्रधान अब सभी उक्त प्रकार की सूची इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (संलग्नक1) केन्द्रीय नियोजन कोषांग में भेजें।

5. प्रत्येक अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवक को विहित प्रपत्र में (संलग्नक 2) एक प्रमाण-पत्र उनके सम्बद्ध विभाग/कार्यालय द्वारा दिया जाय और ऐसे सरकारी सेवकों को निर्देश दिया जाय कि वे अपने आवास के निकटतम नियोजन निदेशालय में अपना नाम निबंधित करवा लें।

6. सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान अपनी-अपनी स्थापनाओं के अराजपत्रित कर्मचारी तथा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पदों के रिक्त होने की सूचना विहित प्रपत्र (संलग्नक3) में केन्द्रीय नियोजन कोषांग को भेजेंगे और उस सूचना की एक प्रति अपने क्षेत्र के नियोजनालय में भी अग्रसारित कर देंगे।

7. अतिरेक छांटे गये सरकारी सेवकों के नियोजन के लिए उनका नाम भेजने में निम्नांकित सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय नियोजन कोषांग कार्रवाई करेंगे :—

(क) अतिरेक छांटे गये सरकारी सेवकों में अतिरेक कर्मचारियों को प्राथमिकता नाम भेजने में दी जायगी।

(ख) अतिरिक्त और छांटे गये दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों की अलग-अलग सूची में पारस्परिक प्राथमिकता सेवा की अवधि, योग्यता एवं सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अन्य कागजात पर निर्भर करेगी।

(ग) यदि कोई ऐसे अतिरेक छांटे गये सरकारी सेवक हों, जिनका नाम ऐसे पद पर नियोजन के लिए भेजा गया हो जिस स्तर तथा जिस वेतनमान के पद पर वे अतिरेक घोषित या छांटे जाने के पूर्व थे, उस पद पर उनकी नियुक्ति अवश्य करनी होगी। यदि नियुक्त करनेवाले प्राधिकृत पदाधिकारी लिखित रूप में ऐसा व्यक्त करें कि जिन अतिरेक/छांटे गये कर्मचारियों के नाम केन्द्रीय नियोजन कोषांग ने भेजा है वे नि:सन्देह उस पद के लिए अयोग्य हैं और ऐसी अयोग्यता के कारण का भी उल्लेख करें तभी इनके सिवाय दूसरे किसी की नियुक्ति हो सकती है। इस तरह के जितने अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवक अयोग्य पाये जायें उनकी सूचना वित्त विभाग के मितव्यय प्रकोष्ठ और केन्द्रीय नियोजन कोषांग को यथाशीघ्र दे दी जाय।

(घ) यदि कोई अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवक योग्य समझे जायें तो सरकारी/प्राय: सरकारी स्थापनाओं में जिस पद पर वे पहले थे उससे कम वेतन के पद पर भी नियुक्ति के लिए उनके नाम भेजे जा सकते हैं।

(ङ) यदि किसी अतिरिक्त/छांटे गये सरकारी सेवक को ऐसे पद पर नियुक्त किया जाय जिसका स्तर और वेतन वे जिस पद से अतिरेक घोषित/छांटे गये हों उसके अनुरूप हो और वे यदि ऐसी नियुक्ति को नहीं स्वीकार करें तो उनका नाम अतिरिक्त/छांटे गये सरकारी सेवकों की सूची से हटा दिया जायेगा।

(च) यदि किसी अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवक का नाम उनके नियोजन के लिए भेजा गया हो और नियोजन ने उनको साक्षात्कार इत्यादि के लिए बुलाया हो और वे यदि इस प्रकार से बुलाये जाने पर तीन बार बिना समुचित कारण के साक्षात्कार इत्यादि में उपस्थित न हों; तो उनका नाम अतिरेक/छांटे गए कर्मचारियों की सूची से हटा दिया जायेगा।

(ञ) सभी अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों की सरकारी स्थापनाओं में नियुक्ति संबंधी उच्चतम आयु की सीमा को शिथिल किया गया है ऐसा माना जायेगा यदि वे उक्त आयु सीमा से अधिक आयु के हों।

8. उपर्युक्त आदेश को कृपया अधीनस्थ पदाधिकारियों के ध्यान में तुरत लाया जाय और उन्हें निर्देश दिया जाय कि उपर्युक्त कंडिका 4 और 6 के अनुसार विहित प्रपत्र में अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों की सूची वे अवश्य भेज दें।

9. इस पत्र की प्राप्ति की सूचना कृपया नियोजन तथा प्रशिक्षण निदेशालय को दी जाय।

10. केन्द्रीय नियोजन कोषांग संबंधी सभी पत्राचार निम्नांकित पते से किया जाय—

नियोजन सम्पर्क पदाधिकारी,

(नियोजन शाखा), बेली रोड, पटना-1।

आपका विश्वासभाजन,

ह०/ पी० एस० अप्पु;

सचिव, वित्त विभाग।

———

बिहार सरकार,

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

———

ज्ञाप संख्या-सी एस-3363 पटना-15, दिनांक 14 आषाढ़, 1889 (स), 5 जुलाई, 1967।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव एवं अपर सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सरकार के सभी विभाग।

सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों के अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी एवं नौकरी में उनके पुनर्वास की समस्या को मद्देनजर रखकर दिनांक 4 जुलाई 1967 की मन्त्रिमण्डल की बैठक में मंत्रिपरिषद् ने यह निर्णय लिया है कि सचिवालय में किसी भी अराजपत्रित पद पर दिनांक ७ जुलाई 1967 से तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 10 जुलाई 1967 से नये व्यक्तियों की बहाली बिल्कुल नहीं की जाय। अगर साक्षात्कार आदि हो गया रहे तो भी नियुक्ति नहीं की जाय। ऐसे पदों पर केवल उन्हीं लोगों की बहाली की जायगी जिनकी सेवा उपर्युक्त छंटनी के फलस्वरूप समाप्त हो गई है। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाय।

2. साथ ही यह भी अनुरोध है कि अपने विभाग के अधीन ऐसे जितने भी अतिरिक्त स्टाफ हों या जिनकी छंटनी हो गई हो, उनकी योग्यता उम्र आदि का पूर्ण उल्लेख करते हुए एक सूची वित्त विभाग को भेजने की कृपा करें। सूची की एक प्रति मंत्रिपरिषद् सचिवालय में भी भेजें।

3. क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सरकार के इस निर्णय से तुरत अवगत कराया जाय।

ह०/—प्रेम प्रकाश अग्रवाल,

अपर मुख्य सचिव।

———

बिहार सरकार,

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

ज्ञाप संख्या—सी एस-3-/एम/1-1026/72-57/पटना-15, दिनांक ८ जनवरी, 1973।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :—तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति में छंटनीग्रस्त सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता।

मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र संख्या—3363 दिनांक 5 जुलाई, 1967 एवं अनुवर्त्तीपरिपत्र संख्या—4872 दिनांक 25 सितम्बर, 1967 तथा 4949 दिनांक 2 सितम्बर, 1969 (प्रतिलिपि संलग्न) में सरकार ने निदेश दिया था कि भविष्य में सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में किसी भी वाह्य व्यक्ति की नियुक्ति बिलकुल नहीं की जाय, वरन् उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जिनकी छंटनी सरकारी सेवा से हो गई है। मात्र पुलिस बल में नियुक्ति के लिए छंटनीवाली सूची से ही नियुक्ति करने की पाबन्दी नहीं थी। इस तरह सभी रिक्तियों को (पुलिस बल छोड़कर) छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखने के चलते, पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब और काफी दिक्कत का अनुभव हो रहा है, कारण वर्त्तमान व्यवस्था के अनुसार छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की सूची केन्द्रीय नियोजनालय प्रकोष्ठ तथा प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में रहती हैं और नियोजनकर्त्ता को अपने अधीन रिक्त पदों की सूचना पहले प्रमण्डलायुक्तों/केन्द्रीय नियोजन कोषांग को छंटनीग्रस्त उम्मीदवारों की प्रस्तुती के लिए भेजनी पड़ती है। उक्त सूची से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं रहने पर स्थानीय नियोजनालय से सुयोग्य उम्मीदवारों के नाम मांगे जाते हैं। इस प्रक्रिया से द्वारा रिक्त पदों को भरने में विलम्ब होता ही है। साथ-साथ छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को सूची और उनका वर्तमान पता प्रायः अद्यतन नहीं रहने के कारण बहाली में व्यावहारिक कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर रिक्तियों के 14 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये और 10 प्रतिशत पद जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित है। उसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के पदों की 20 प्रतिशत रिक्तियों एवं तृतीय श्रणी के पदों की 10 प्रतिशत रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुरक्षित है (नियुक्ति विभाग का परिपत्र संख्या-ए-912, तिथि 10-1-1969 एवं कार्मिक विभाग का पत्र संख्या-17262 तिथि 14 सितम्बर, 1972) इन छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की नियुक्ति सम्भव नहीं है।

2. अतः सारी स्थिति पर समग्र रूप से पुनर्विचार करते हुए इस सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(क) जो पद अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिये अथवा भूतपूर्व सैनिकों के लिये नियमानुकूल आरक्षित हों उनपर नियुक्ति के लिये छंटनीवाली सूची के उन्हीं व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जाय जो उपर्युक्त कोटियों में आते हैं। अगर सूची में इन कोटियों के सदस्यों उपलब्ध नहीं हों तो फिर बाहर से जनजाति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति अथवा भूतपूर्व सैनिक नियुक्त किये जायँ।

(ख) अनारक्षित रिक्तियों के 50 प्रतिशत पद प्राथमिकता के आधार पर सुयोग्य छंटनीग्रस्त कर्मचारियों में से भरे जायँ। अवशेष ऐसे पदों पर नियुक्ति वाह्य व्यक्तियों में से सामान्य प्रक्रिया अपनाकर की जाय।

3. सरकार ने यह भी निर्णय लिया [है कि सभी विभाग अपने से सम्बद्ध सार्वजनिक प्रतिष्ठान, स्वायत्तशासी निकाय एवं स्थानीय संस्थाएँ तथा नगरपालिकाओं में वर्ग-3 और 4 के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति में इसी नीति का अनुपालन कराएं।

4. उपर्युक्त अनुदशों तक मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र संख्या-3363 दिनांक 5 जुलाइ, 1967, 4872, दिनांक 25 सितम्बर, 1967 तथा 4949 तिथि 2 सितम्बर, 1969 संशोधित समझी जाय। इन निर्णयों से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को तुरत अवगत करा दें।

5. कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दें।

ह०/-पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव।

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय।

ज्ञाप संख्या—सीएस 1/एम2—10105/67—4872

पटना—15, दि० 4 आश्विन, 1884। 25 सितम्बर, 67।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव
विभागाध्यक्ष।

विषय :—अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति।

उपर्युक्त विषय पर श्री पी० पी० अग्रवाल के परिपत्र संख्या 3363 दिनांक 5-7-67 में यह आदेश निर्गत हुआ कि अराजपत्रित पदों पर भविष्य में किसी वाह्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो, बरन् उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जिनकी छंटनी सरकारी सेवा से हो गई हो। ऐसे व्यक्तियों की सूची वित्त विभाग में रखी गई है।

2. इस अनुदेश का अनुपालन करने में कई विभागों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कारण वित्त विभाग की सूची में उन सभी रिक्तियों के लिए समुचित योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर जो पूरी पाबन्दी लगा दी गई है उसको शिथिल किया जाय। सरकार ने इसपर पुर्नविचार कर निम्नलिखित निर्णय लिया है।

3. किसी विभाग में या किसी विभागाध्यक्ष के अधीन अराजपत्रित पद यदि रिक्त हों तो प्रथम वित्त विभाग से पूर्व परामर्श कर छंटनीवाली सूची से योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने का पूर्ण प्रयास किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार नियुक्ति की शर्तों संबंधी अनुदेशों को शिथिल किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप उम्र सीमा की छूट देकर नियोजनालय से सूची मंगाये बिना ही सक्षम पदाधिकारी छँटनीवाली सूची से किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं।

4. अगर वित्त विभाग की छंटनीवाली सूची से उपर्युक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो विभागीय मंत्री की पूर्व अनुमति प्राप्त कर, वाह्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाय।

5. लेकिन जो पद अनुसूचित जाति या जन जाति के सदस्यों के लिए सुरक्षित हों उनपर नियुक्ति के लिए छंटनीवाली सूची से उन्हीं व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जाय जो उक्त जातियों के सदस्य हों। अगर सूची में उक्त जातियों के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तो फिर बाहर से जनजाति या अनुसूचित जाति के सदस्य को नियुक्त किया जाय।

6. चूँकि पुलिस बल में योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त करना वांछनीय है और उसके लिए शारीरिक योग्यता का भी प्रश्न उठता है इसलिए पुलिस में नियुक्ति के लिए छंटनीवाली सूची से ही नियुक्ति करने की पाबन्दी न रहेगी।

ह०/—श्रीधर वासुदेव सोहनी
मुख्य सचिव

Government of Bihar

Department of Co-ordination

(Cabinet Secretariat)

Memo No. CS-4949 Patna-15, dated the 11 Bhadra, 1891 (S) 2 September, 1969.

To

All Departments of Government
All Heads of Department.

Sub :—Absorption of retrenched Government Servants.

The undersigned is directed to refer to Cabinet Secretariat Memo No.3363, dated 5-7-67. 8472. dated 25-9-67 (copy enclosed) and to say that in spite of the instructions of Government issued from time to time it has been noticed that instead of employing the retrenched Government Servants to new vacancies the departments of Governments make direct recruitment from the open market for some reason or the other. It has since been decided that henceforth it will be the personal responsibility of the heads of departments to ensure that these instructions are followed strictly.

2. It has further been decided that for offices situated in the field, the respective Divisional Commissioner should maintain a comprehensive list of retrenched employees of that division and all appointments should be made from the aforesaid list. All officers in that division should obtain prior approval of the Divisional Commissioners before appointing any person other than a retrenched employee in case this becomes absolutely and unavoidably necessary.

Sd/-S. N. Singh.
Chief Secretary to Government,

Memo No. CS-4949. Dated the 11 Bhadra, 1891 (S). 2 September, 1969.
Copy forwarded to the Divisional Commissioners for necessary action.

Sd/-S. N. Singh,
Chief Secretary to Government.

———

तुरत

संख्या ओ० एम०, ई-2-02/74 163

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग;

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 4 मार्च, 1974 ।

विषय :—तेनुघाट बाँध योजना के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्यभारित स्थापना के अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि तेनुघाट बाँध योजना के अन्तर्गत कार्यभारित स्थापना के लगभग 1657 कर्मचारी छटनीग्रस्त हो गए हैं जिनके पुर्नानियोजन हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इन 1657 छंटनीग्रस्त कर्मचारियों में लगभग 600 कर्मचारी चौकीदार, हेल्पर, जीप ड्राईवर वगैरह के पद पर हैं जिन्हें आदेशपाल, रक्षक (गार्ड) वगैरह के पद पर

नियुक्त किया जा सकता है एवं 50 संकलन किरानी (कम्पाईलेशन क्लर्क) हैं, जिन्हें सहायकों के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। बाकी सभी कर्मचारी तकनीकी हैं जिनका समायोजन तकनीकी विभागों में किया जायगा। राज्य सरकार शीघ्र ही यह निर्णय लेने जा रही है कि किसी भी विभाग में किसी रिक्त पद पर या नव सृजित पर किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं नियुक्त किया जाय बल्कि इन्हीं छँटनीग्रस्त कर्मचारियों का पुर्नवियोजन किया जाय। इसी बीच इन छंटनीग्रस्त कर्मचारियों का पूर्ण विवरण नाम-पता के साथ उपलब्ध करने की चेष्टा की जा रही है। जैसे ही मंत्रि-परिषद का निर्णय प्राप्त हो जाता है एवं कर्मचारियों का पूर्ण नाम पता प्राप्त हो जाता है उसके तुरत बाद मुख्य सचिव के द्वारा आपको सूचित किया जायगा। इस बीच यह उचित समझा गया है कि उपरोक्त लगभग 650 छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को राज्य के विभिन्न जिला-अनुमंडल एवं प्रमंडलों में पुर्ननियोजन करने हेतु आपको पहले से सूचित कर दिया जाय जिसमें आवश्यक रिक्त स्थानों का प्रबन्ध अभी से किया जा सके एवं किसी अन्य श्रोत से वे भरे नहीं जाए। बड़े जिलों में लगभग 30 एवं छोटे जिलों में लगभग 15 से 20 स्थान इसके लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस विषय को महत्त्व देते हुए अभी से इस दिशा में कार्रवाई की जाय जिसमें आगे की सूचना प्राप्त होते ही उनका पुनियोजन किया जा सके।

इसकी एक प्रतिलिपि सीधे अनुमण्डल पदाधिकारियों को भेजी जा रही है एवं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि सभी प्रखण्डों की सम्भावित रिक्तियों की सूचना प्राप्त कर ली जाय।

विश्वासभाजन;
ह०/कि० नारायण
(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० ए००/ई-2-02/74 163/पटना, दिनांक 4 मार्च, 1974।

प्रतिलिपि प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/
(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई-2-02/74 163/पटना, दिनांक 4 मार्च, 1974।

प्रतिलिपि सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित। अनुरोध है कि सभी प्रखंडों को अभी से सूचित करके सम्भावित रिक्तयों की सूचना प्राप्त कर ली जाय।

ह०/
(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

संख्या ओ० एम०/ई-2-02/74 306 /

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

प्रेषक,

श्री पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिवों

सभी सचिवों

सभी विभागाध्यक्ष;

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

विषय :—तेनुघाट बंध योजना के 1657 अतिरिक्त कार्यभारित कर्मचारियों को बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्याान्य विभागों में समायोजन तथा दैनिक विपत्र पर कामगारों की नियुक्ति की प्रणाली।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि तेनुघाट डैम निर्माण कार्य जो सन् 1965-66 में मुख्यत: विभागीय सूत्रों द्वारा प्रारम्भ किया गया था, लगभग समाप्ति पर है। निर्माण के कार्य में लगभग 4000 व्यक्तियों की नियुक्ति दैनिक वेतन के आधार पर की गई थी, जिन्हें बाद में कार्यभारित स्थापना में परिणत कर दिया गया। इन 4000 कार्यभारित कर्मचारियों में से 1229 व्यक्तियों की ही डैम के अवशेष कार्य के लिए, अभी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 1114 कर्मचारियों को सिंचाई एवं विद्युत विभाग की अन्य परियोजनाओं में समायोजित करने का निर्णय लिया जा चुका है और उसमें से अधिकांश कर्मचारियों का समायोजन हो भी चुका है।

2. उक्त कार्यभारित में से, 1657 कर्मचारीगण बिल्कुल ही अतिरेक हैं जिस पर सरकार का अनावश्यक व्यय हो रहा है। इनकी श्रेणीबार सूची संलग्न है। इनके बारे में राज्य सरकार के निर्णय लिया है कि इनकी छटनी न कर इन्हें राज्य सरकार के अन्य विभागों में समायोजित कर दिया जाय।

3. उक्त परिस्थिति में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के कार्यभारित या नियमित स्थापना में उक्त अतिरिक्त कर्मचारियों को छोड़ किसी की भी नियुक्ति, बिना मुख्य सचिव के पूव अनुमोदन के, तबतक नहीं की जाय जबतक संलग्न सूची के प्रत्येक कर्मचारी का समायोजन नहीं हो जाता।

4. दैनिक मजदूरी पर कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में सम्प्रति कोई निर्धारित प्रणाली नहीं है। दैनिक मजदूरी पर बहाली करने के लिए निम्न श्रेणी के पदाधिकारी भी सक्षम हैं। वर्त्तमान नियम के अनुसार दैनिक मजदूरी पर काम करनेवाले कर्मचारीगण 12 महीनों के अभ्यन्तर 240 दिनों की सेवा के कार्यभारित स्थापना में स्वत: चले आते हैं। यह भी देखा जाता है कि दैनिक मजदूरी पर केवल मजदूरों (हाथ से काम करनेवालों) की ही, नहीं बल्कि लिपिक वर्ग एवं पर्यवेक्षक वर्गों के व्यक्तियों की भी नियुक्ति कर ली जाती है। ऐसी परिस्थिति पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिये हैं।

1. दैनिक मजदूरी पर केवल हाथ से काम करनेवालों (Manual works) की ही बहाली की जाय।

2, दैनिक मजदूरी पर किसी भी व्यक्ति को 100 (एक सौ) दिनों से अधिक नहीं रखा जाय, तथा

3. किसी विशेष परिस्थिति वश यदि किसी दैनिक मजदूर को 100 दिनों से अधिक रखना अनिवार्य हो जाय तो संबंधित विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही ऐसा किया जाय।

4. पूर्वगामी कंडिका 3 और 4 में उल्लिखित निर्णय तुरत लागू समझे जायेंगे।

5. कृपया उक्त निर्णयों की सूचना तुरत अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को दें और यह सुनिश्चित करें कि इनके अनुपालन में कोई तुटि नहीं हो।

सभी विभागीय रिक्तियों के अनुरूप अधीक्षण अभियंता तेनुघाट बाँध अंचल संख्या 1, तेनुघाट (दाया तट) जिला गिरिडीह से उतने छटनीग्रस्त कर्मचारियों की सूची मँगाकर नियुक्ति की कारंवाई की जाय।

6. कृपया इसे अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण समझें।

विश्वासभाजन;
ह०/- पी० के० जे० मेनन
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई-2-02/74 306 /

पटना, दिनांक 16 मई, 1974।

प्रतिलिपि सभी जिलाधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र संख्या 163 दिनांक 4-3-74 के प्रसंग में प्रेषित।

ह०/- कीर्ति नारायण
सरकार के उप-सचिव।

No. OM/E-2-02/74 378

Government of Bihar,

Department of Personnel,

(Organisation & Methods Section)

From
Chief Secretary,
Government of Bihar.

To
All Commissioner/All Collectors.

Patna, Dated, the 1 June, 1974

SUBJECT :—Absorption of 1657 surplus staff of Tenughat Dam Project.

Sir.

With reference to this department letter no 163 dated 4. 3. 74 I am to say that 1957 staff of Tenughat Dam Project have become surplus and Government are incurring expenditure of nearly Rs. 65 lakhs per year on them. Government have taken a decision not to retrench them but to get them absorbed in Government service in any department/local office of Govt. The Govt. have also decided that no other persons of the categories to which these 1657 members of the Tenughat Dam Project belong could be appointed without the prior approval of the Chief Secretary, until these surplus staff are absorbed.

The River Valley Projects Department are deputing only such of these surplus staff which can be absorbed in district and subdivisional offices at the rate of 30 in each district headquarters and 20 in each Mufassil Sub-Divisional headquarters. The R, V. P. Department are taking care to see that these

persons are deputed to their home districts or nearby. A complete list of such persons will be sent to you. These persons will submit joining report to district and sub-divisional Officers and the officers will utilise them as required. Meanwhile you should make all possible arrangements to get them absorbed in suitable vacancies occurring in the district/Subdivisional offices and vaiicus types of local offices of departments of Government.

However, until such time as each individual person is absorbed, River Valley Projects Department is being directed to make arrangements for sending their salaries to their respective headquarters of deputation of district/subdivisions. You are also requested to send monthly returns of absorption to the Personnel Department and River Valley Projects Department.

Yours faithfully,
Sd/—P. K. J. MENON
Chief Secretary to Government.

———

No. OM/E-2-01/74 147

Government of Bihar,

Department of Personnel,

(Organisation & Methods Section)

Dated 26-2-75

To

The All Principal Secretaries of Departments/Heads of Department/All Divisional Commissioners and All Collectors.

I am directed to refer to Chief Secretary's letter no. 306 dt. 16-5-74 & no, 378 dt. 1.6.74 and to say that standing instructions require that existing vacancies in departments, or field offices, have to be filled from the surplus staff of the Tenughat Project who have been deputed in batches of 10 to 30 at each Subdivisional district and Divisional Head quarters and are awaiting their absorption.

2. Reports have been received that some appointing authorities especially in the Regional and District offices of the technical departments have been advertising posts and making appointments of outsiders, or of other retrenched persons, although Tenughat surplus staff of similar categories are available and waiting at the sub-divisional/District/Divisional Head quarters for absorption. Circular letter nos 705 dt. 30. 9. 74 of Chief Secretary and no. 787 dt. 9. 11. 74 and no: 788 dt. 11. 11. 74 of Dy. Secretary Personnel clearly lay down that such appointments if made from other sources are not only irregular and liable to be cancelled but the appointing authorities are also liable to disciplinary action.

3. It is, therefore, once again emphasised that appointments should be made according to the instructions contained in the circulars referred to above by taking Tenughat surplus staff from the S. D. O's/D. M.'s/Divisional Commissioner's and they should be absorbed on posts of almost equal emoluments or even slightly higher or lower emoluments. If the Tenughat surplus staff refuse to join posts which have been found for their absorption, their refusal should be taken in writing and thereafter the salary they are getting should be stopped by informing the Superintending Engineer Tenughat who should strike out their names from the list.

4. Slight departure from the above instructions has been made in case of retrenched staff of the survey settlement operations in which case these persons are to be given preference over the Tenughat surplus staff for absorption against the vacancies in the Revenue establishments only, as per Chief Secretary's revised circular letter no. 652 dt. 13. 9. 74.

5. There is some confusion in the minds of some appointing authorities concerning the Tenughat surplus staff circulars as mentioned in the letter vis-a-vis the old circulars of this department regarding absorption of retrenched staff, namely.

(i) 8250 dt. 9. 12. 1967

(ii) 67 dt. 8. 1. 1973

The last mentioned circular is the last circular on this subject according to which the number of vacancies occurring in any establishment were to be divided into three parts. Firstly, the no. of reserved posts for Sc. C/T was to be calculated and filled up by taking so many Sch./T, retrenched persons. If they were not available in such number then it was to be made up-to-date by taking Sc C/T from the open market. Secondly, The balance of the posts was to be divided into two parts i. e. 50% to be filled up from retrenched lists and 50% from the open market.

6. These instructions will remain in abeyance for the time being for such types and categories of vacancies for which Tenughat surplus staff are available. In other words retrenched/surplus staff of other departments/field offices (except survey staff who will get priority for reappointment in Revenue establishments) and persons from open market of categories which are available as Tenughat surplus staff shall not be appointed anywhere without approval of the Chief Secretary. If any appointment has been made contrary to these instructions, the appointing authorities are directed to terminate such appointments and absorb corresponding number of Tenughat surplus staff under intimation to the Chief Secretary.

7. It is requested to bring these instructions to the notice of all concerned for future guidance.

Yours faithfully,
C. B. Vankatraman
Secretary to Government
Department of Personnel.

———

कार्मिक विभाग

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

श्री पी० के० जे० मेनन
मुख्य सचिव बिहार।

पटना;
दिनांक 2 सितम्बर; 1974

अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या/ई-2-015/74 ओ० एम० 639

प्रिय—————————

तेनुघाट बाँध योजना के 1657 अतिरेक कर्मचारियों के अवशोषण के विषय पर कृपया मेरे पत्र संख्या ओ० एम/ई 2-02/74-378 दिनांक 1 जून, 1974 को निर्देशित किया जाय। अधिकांश अतिरेक कर्मचारियों को जिलों एवं अनुमंडलों में बिखेर कर बहुत मात्रा में साफल्य प्राप्त किया गया है। समय-समय पर होनेवाली रिक्तियों के विरुद्ध इनके अवशोषण को कार्यालय प्रधानों से विशेष रूप से परामर्श कर शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करना, अब समाहर्त्ताओं और अनुमण्डल पदाधिकारियों का काम है।

अगले दो या तीन महीनों में अतिरेक कर्मचारियों का अवशोषण हो जाय, इसके लिये हमें हर प्रयास करना चाहिए। मुझे आपसे अनुरोध करना है कि इस विषय पर आप विशेष प्रयास करने की कृपा करें

भवदीय,
ह०
(पी० के० जे० मेनन)

सेवा में,

श्री——————
आयुक्त
——————— प्रमण्डल

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ ई 2-015/74 ओ० एम० 639/पटना, दिनांक 2 सितम्बर, 1974।

प्रतिलिपि सभी जिलाधिकारियों/प्रावैधिक विभागाध्यक्षों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह०/(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

संख्या ओ० एम०/ई 2-018/74 758

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सरकार के सभी विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक 17 अक्टूबर, 1974

विषय :—तेनुघाट बांध योजना के 1657 अतिरिक्त कार्यभारित कर्मचारियों को बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्यान्य विभागों में समायोजन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि अभी भी विभिन्न कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बाहर से नियुक्तियाँ की जा रही हैं जबकि इस विभाग के पत्रांक 378 दिनांक 1-6-74 द्वारा यह सूचित किया गया था कि राज्य सरकार के किसी विभाग या अधीनस्थ कार्यालय की कार्यभारित नियमित स्थापना में तेनुघाट के 1657 अतिरेक कर्मचारियों को छोड़ अन्य कोई भी नियुक्ति मुख्य सचिव के पूर्व अनुमोदन बिना तबतक नहीं की जाय जबतक कि तेनुघाट बांध के 1657 अतिरेक कर्मचारियों का पूर्णरूपेण समायोजन नहीं हो जाता है। सूचना कहाँ तक सत्य है इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच-पड़ताल कर वस्तुस्थिति से शीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सरकारी आदेशों का मुस्तैदी के साथ अनुपालन कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन
ह०/(पी० के० जे० मेनन)
मुख्य सचिव, बिहार।